दिनांक 21.08.2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त निर्मल सिंह और बलजीत कौर उर्फ वीरपाल कौर मय विद्वान अधिवक्त श्री ए0डी0 मैसी न्यायालय में उपस्थित आये। अभियुक्तगण की शिनाख्त प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता द्वारा किया जाना प्रकट होता है। न्यायालय में पुकार पर डी0जी0सी0 श्री एन0एस0 धामी उपस्थित हैं।

2- पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि पत्रावली पर संलग्न समन विरूद्ध अभियुक्त परमजीत उर्फ पम्मा के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध जारी समन बजात खास तामील है और अभियुक्त हरजीत सिंह उर्फ पप्पी के विरूद्ध जारी समन की पुश्त पर रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त कनाडा में जाना बताया गया है।

3- अभियुक्त निर्मल सिंह व बलजीत कौर का प्रार्थना पत्र वास्ते आत्मसमर्पण प्रस्तुत किया गया।

4- सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

5- पत्रावली पर 5क आरोप पत्र अभियुक्तगण निर्मल सिंह, बलजीत कौर एवं हरजीत

सिंह उर्फ पप्पी के विरूद्ध धारा- 504, 506 भा0द0सं0 व धारा- 3(1)(द) व 3(1)(ध) एस.सी/एस.टी. एक्ट के अंतर्गत और अभियुक्त परमजीत उर्फ पम्मा के विरूद्ध धारा 504, 506 भा0द0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना परिलक्षित होता है। अभियुक्तगण निर्मल सिंह एवं बलजीत कौर को अधिवक्ता श्री ए0डी0 मैसी की शिनाख्त पर इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। उक्त अभियुक्तगण का धारा 309 द0प्र0सं0 का वारण्ट तैयार कर जेल भेजा जाए। अभियुक्त हरजीत सिंह उर्फ पप्पी के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट अग्रिम दिनांक के लिये जारी किया जाये। अभियुक्त परमजीत उर्फ पम्मा के विरूद्ध समन एस0एस0पी0 उधमसिंह नगर के माध्यम से नियमानुसार तामील कराये जाने हेतु प्रेषित किया जाये।

अभियुक्तगण निर्मल सिंह व बलजीत कौर को नकले प्राप्त करायी गयीं।

पत्रावली वास्ते आरोप पर बहस/उपस्थिति शेष अभियुक्तगण हेतु दिनांक 04.09.2024 को पेश हो।

(सिकन्द कुमार त्यागी)
विशेष सत्र न्यायाधीश, ऊधम सिंह नगर।